

प्रेषक,

आर० बी० भाष्कर,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 1994

विषय :- पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर ।

महोदय,

कार्मिक  
अनुभाग-1

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या-13/34/90(1)-का-1/1994, दिनांक 10 अक्टूबर, 1994 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है ।

2- उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक पूर्व निर्गत रोस्टर को निरस्त करते हुए शासन द्वारा निम्नलिखित रोस्टर तैयार किया गया है :-

- (1) अनुसूचित जाति
- (2) अनारक्षित
- (3) अनारक्षित
- (4) अनारक्षित
- (5) अनारक्षित
- (6) अनुसूचित जाति

- (7) अनारक्षित
- (8) अनारक्षित
- (9) अनारक्षित
- (10) अनारक्षित
- (11) अनुसूचित जाति
- (12) अनारक्षित
- (13) अनारक्षित
- (14) अनारक्षित
- (15) अनारक्षित
- (16) अनुसूचित जाति
- (17) अनारक्षित
- (18) अनारक्षित
- (19) अनारक्षित
- (20) अनारक्षित
- (21) अनुसूचित जाति
- (22) अनारक्षित
- (23) अनारक्षित
- (24) अनारक्षित
- (25) अनारक्षित
- (26) अनुसूचित जाति
- (27) अनारक्षित
- (28) अनारक्षित
- (29) अनारक्षित
- (30) अनारक्षित
- (31) अनुसूचित जाति
- (32) अनारक्षित
- (33) अनारक्षित
- (34) अनारक्षित
- (35) अनारक्षित
- (36) अनुसूचित जाति
- (37) अनारक्षित
- (38) अनारक्षित
- (39) अनारक्षित
- (40) अनारक्षित
- (41) अनुसूचित जाति
- (42) अनारक्षित
- (43) अनारक्षित
- (44) अनारक्षित
- (45) अनारक्षित
- (46) अनुसूचित जाति
- (47) अनारक्षित
- (48) अनारक्षित
- (49) अनुसूचित जनजाति
- (50) अनारक्षित

- (51) अनुसूचित जाति
- (52) अनारक्षित
- (53) अनारक्षित
- (54) अनारक्षित
- (55) अनारक्षित
- (56) अनुसूचित जाति
- (57) अनारक्षित
- (58) अनारक्षित
- (59) अनारक्षित
- (60) अनारक्षित
- (61) अनुसूचित जाति
- (62) अनारक्षित
- (63) अनारक्षित
- (64) अनारक्षित
- (65) अनारक्षित
- (66) अनुसूचित जाति
- (67) अनारक्षित
- (68) अनारक्षित
- (69) अनारक्षित
- (70) अनारक्षित
- (71) अनुसूचित जाति
- (72) अनारक्षित
- (73) अनारक्षित
- (74) अनारक्षित
- (75) अनारक्षित
- (76) अनुसूचित जाति
- (77) अनारक्षित
- (78) अनारक्षित
- (79) अनारक्षित
- (80) अनारक्षित
- (81) अनुसूचित जाति
- (82) अनारक्षित
- (83) अनारक्षित
- (84) अनारक्षित
- (85) अनारक्षित
- (86) अनुसूचित जाति
- (87) अनारक्षित
- (88) अनारक्षित
- (89) अनारक्षित
- (90) अनारक्षित
- (91) अनुसूचित जाति
- (92) अनारक्षित
- (93) अनारक्षित
- (94) अनारक्षित

- (95) अनारक्षित
- (96) अनुसूचित जाति
- (97) अनारक्षित
- (98) अनुसूचित जनजाति
- (99) अनारक्षित
- (100) अनुसूचित जाति ।

3- अनुरोध है कि पदोन्नतियों के मामलों में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत् रूप से लागू किया जाये ।

भवदीय,  
आर० बी० भाष्कर,  
सचिव।

संख्या-13/34/90(2)-का-1/1994, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

- (1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश ।
- (2) सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सभी सम्बन्धित बोर्डों/निगमों/निकायों आदि में उपरोक्त अधिनियम को लागू कराने के अनुरोध सहित ।
- (3) प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्प संख्यक वर्गों द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू कराने के अनुरोध सहित ।
- (4) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त रोस्टर को लागू कराये जाने के अनुरोध सहित ।
- (5) प्रमुख सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित ।
- (6) राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (7) प्रदेश के समस्त विद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक ।
- (8) निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, लखनऊ ।
- (9) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ०प्र० ।
- (10) समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
- (11) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ।
- (12) निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, लखनऊ ।

- (13) समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश ।
- (14) निबन्धक, हाई कोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेन्च, लखनऊ ।
- (15) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश ।
- (16) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
- (17) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (18) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (19) निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
- (20) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- (21) समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,  
आर० बी० भाष्कर,  
सचिव।

-----

उत्तर प्रदेश सरकार  
कार्मिक अनुभाग-1  
संख्या-13/34/90-का-1-1994  
लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 1994

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994"

संक्षिप्त नाम,  
प्रारम्भ और  
लागू होना

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह किसी पद पर या सेवा में, जिसके लिये, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के अधीन पदोन्नति करने में अनुपालन किये जाने वाले सिद्धान्तों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है, पदोन्नति द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी।

अध्यारोही  
प्रभाव

2- यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी नियमावली, या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।



परिभाषाएँ

3- जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो-

(क) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ग) "पद या सेवा" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा से है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती  
के लिये मापदण्ड

4- विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम 6700/- रुपये या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहाँ पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,  
आर० बी० भास्कर,  
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/34/90-Ka-1/1994, dated October 10, 1994 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH  
KARMIK ANUBHAG-1  
No. 13/34/90-Ka-1/1994  
Dated Lucknow, October 10, 1994  
NOTIFICATION  
**Miscellaneous**

IN exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS  
CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION  
RULES, 1994

Short title,  
commencement  
and application

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994.

(2) They shall come into force atonce.

(3) They shall apply to a recruitment by promotion to a post or service for which no consultation with the Public Service Commission is required on the principles to be followed in making promotions under the Uttar Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1954, as amended from time to time.

Overriding  
effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other service rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

Definitions

3. Unless there is anything repugnant in the subject or context :-

- (a) "Constitution" means the Constitution of India;
- (b) 'Governor' means the "Governor of Uttar Pradesh" ;
- (c) "Post" or "Service" means a post or service under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution.

Criterion for  
recruitment  
by promotion

4. Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 6700/- or above, shall be made on the basis of merit, and to rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-gazetted post to a gazetted post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

By order,  
R. B. BHASKAR,  
Secretary.